



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं. 12- केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road, New
Delhi - 110003.

विज्ञप्ति

आशुलिपिक श्रेणी 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2020

(आयोग की वेबसाइट: <https://ssc.nic.in>)

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख : 10.10.2020 से 04.11.2020 तक

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 04.11.2020 (23:30 बजे तक)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि : 06.11.2020 (23:30 बजे तक)

ऑफलाइन चालान तैयार करने की अंतिम तिथि : 08.11.2020 (23:30 बजे तक)

चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान) : 10.11.2020

कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख : 29.03.2021 से 31.03.2021 तक

फा.सं.3/8/2020-(नी. एवं यो.-II): कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिए आशुलिपिक श्रेणी 'ग'(समूह 'ख' अराजपत्रित) और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' (समूह 'ग') की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। केवल आशुलिपि में कृशलता प्राप्त अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

2. रिक्तियां :

- (क) रिक्तियों की संख्या के बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। रिक्तियों की अद्यतन संख्या समय-समय पर आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>>Candidate's Corner>Tentative Vacancy) पर अपलोड की जाएगी।
- (ख) आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की रिक्तियां देशभर में विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में हैं।

3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण और उपयुक्तता:

- (क) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अज्जा)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग(अकव), भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) और दिव्यांगजन (दि.जन) इत्यादि अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों द्वारा होगा।
- (ख) आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका

नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना तथा विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

- (ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल समूह 'ग' पदों हेतु विद्यमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार रिक्तियां अपेक्षित हैं।
- (घ) पूर्व में, आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के पद एक बांह (ए.बा.), एक पैर (ए.पै.), दोनों पैर (दो.पै.), दृष्टिहीन(दृ.) तथा अल्प दृष्टि (अ.दृ.) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए थे और सीमा सङ्गठन(बी.आर.ओ.) को छोड़कर आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के पद एक बांह (ए.बा.), एक पैर (ए.पै.), एक बांह एवं पैर (ए.बा. एवं पै.), दोनों पैर (दो.पै.), दृष्टिहीन(दृ.) तथा अल्प दृष्टि (अ.दृ.) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए थे। तथापि, जैसाकि "दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हुए हैं और दिव्यांगता की नई श्रेणियां, जैसे- ऑटिज्म, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता और बहु दिव्यांगता इत्यादि भी इसमें शामिल की गयी हैं, अतः ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देकर आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के साथ-साथ मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की प्राप्ति के अध्यधीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 36035/02/2017-स्थापना (आरक्षण), दिनांक 15-01-2018 (पैरा-2.2) के अनुसार निर्दिष्ट की गई विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी <https://ssc.nic.in> पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों का चयन कर सकते हैं।

क्रम सं	दिव्यांगता का प्रकार	पंजीकरण / आवेदन पत्र में चयन की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(क)	नेत्रहीनता और अल्प दृष्टि	दृ.दि
(ख)	बधिर तथा कम सुनने वाला	श्र.दि
(ग)	गतिविषयक दिव्यांगता सहित प्रमस्तिष्ठीय पक्षाधात, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास	अ.दि
(घ)	ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता।	अन्य
(ङ)	बधिर-नेत्रहीनता सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-दिव्यांगता	

- (ङ) श्रवण दिव्यांग एवं प्रमस्तिष्ठीय पक्षाधात ग्रसित दिव्यांगजन भी आवेदन कर सकते हैं।
- (च) सीमा सङ्गठन (बीआरओ) में आशुलिपिक समूह 'ग' पद के लिए शारीरिक मानदंडों, शारीरिक क्षमता परीक्षाओं और चिकित्सीय मानकों का ब्यौरा अनुबंध XV पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सङ्गठन में आशुलिपिक पद के लिए विकल्प देने से पूर्व सभी अपेक्षित मानकों को पूरा कर रहे हैं। योग्यता-सह-अभ्यर्थीयों द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार पदों का एक बार आबंटन होने के पश्चात अभ्यर्थीयों द्वारा इन मानकों को पूरा करने में असफल रहने के कारण, बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (छ) सीमा सङ्गठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं।

4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो

- (क) भारत का नागरिक हो, या

- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
 (ग) भूटान की प्रजा हो , या
 (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
 (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया , मालावी, जायरे, इथिओपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

5. आयु सीमा:

- (क) आशुलिपिक श्रेणी 'ग' : 01.08.2020 को 18 से 30 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1990 से पहले और 01.08.2002 के बाद न हुआ हो, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
 (ख) आशुलिपिक श्रेणी 'घ' : 01.08.2020 को 18 से 27 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1993 से पहले और 01.08.2002 के बाद न हुआ हो, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
 (ग) उपरोक्त पैरा 5(क) और 5 (ख) में यथा-विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड नीचे दिए गए हैं:-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञय) छूट
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अ पि व	03 वर्ष
3.	शा दि(अनारक्षित)	10 वर्ष
4.	शा दि (अपिव)	13 वर्ष
5.	शा दि (अजा / अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
केवल समूह 'ग' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य(अनुज्ञय) छूट		
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक

11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा/अजजा)	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं /अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं /अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

- (घ) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी गई जन्मतिथि तथा वही मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार या स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (इ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केंद्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूपूसै श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञ.सं. 36014/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।
- (च) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।
- (छ) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।
- (ज) स्पष्टीकरण: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-
- (क) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
 - (i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों अथवा नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए गए हों, किन्तु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
 - (ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
 - (iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ख) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान

दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

- (ग) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निश्चक्ता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (घ) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (इ) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के बीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (च) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।
- (झ) एक मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् 04.11.2020) को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए समूह 'ग' अर्थात् आशुलिपिक श्रेणी 'घ' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अतः ऐसे मैट्रिकुलेट भूपूसै, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।
- (ञ) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

- (क) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/अकव/शादि/भूपूसै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को, सामान्य(अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्राप्त इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांग व्यक्ति(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का।) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्राप्त विवरण पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (ख) अजा/अजजा/अपिव/अकव/शादि/भूपूसै स्थिति के दावे की निर्णायिक तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।
- (ग) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायिक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायिक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- (घ) अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव / अकव/ भूपूसै/ शा.दि. दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

7. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता :

- (क) द्विष्ठीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता(दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड, दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती

- है। चूंकि यह पद दोनों बांह प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात से पीड़ित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी।
- (ख) न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, अनुबंध-I पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।
- (ग) अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैआ की गई प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। अॉनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- (घ) यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की [पैरा 14(छ)] पर दी गई सूची के अनुसार] मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के अलावा प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।
- (इ) ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7(क) और 7(ख) में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- (च) पैरा 7(क) और 7(ख) में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- (छ) परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ज) एक आंख वाले और आंशकि रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना या दर्शना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।
- (झ) शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

8. शैक्षिक योग्यता: (01.08.2020 को)

- (क) अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा की हो।
- (ख) भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयबृत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा व्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।
- (ग) भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) के तहत दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुक्त कुमार शर्मा एवं

अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्लू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इन् द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगी।

- (घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में अर्हक घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को **01.08.2020** को अथवा उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संगत मूल प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट, अनंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तारीख तक अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कट्-ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती।
- (छ) यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता का परीक्षा की विज्ञप्ति की अपेक्षा के अनुसार समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उस प्राधिकार(संख्या और दिनांक सहित) का उल्लेख किया गया हो, जिसके द्वारा उसे अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष माना गया हो।
- (च) दिनांक-01.08.2020 तक अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं और उन्हे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

9. आवेदन कैसे करें :

- (क) आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध- III और अनुबंध- IV का संदर्भ ले। एक-बारी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुबंध-III A और अनुबंध- IV A के रूप में संलग्न हैं।
- (ख) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह स्पष्टतः फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। ऐसे बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 04.11.2020 (23:30) है।
- (घ) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- (ङ) आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (च) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/ सुधार/ संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध, जैसे- डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. आवेदन शुल्क :

- (क) देय शुल्क: 100/-रुपए (मात्र एक सौ रुपए)।
- (ख) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।
- (ग) शुल्क का भुगतान भीम.यू.पी.आई/भा. स्टेट बैंक चालान/नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान तैयार कर भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं पर नकद के माध्यम से किया जा सकता है।
- (घ) ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की सुविधा **06.11.2020 (23:30 बजे)** तक उपलब्ध होगी। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे **10.11.2020** तक बैंक के कार्यालयों के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नगद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने **08.11.2020 (23:30 बजे)** तक चालान तैयार कर लिया है।
- (ङ) जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग में जमा हो गया है। यदि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैआ किए गए लिंक "Payment Status" पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन, जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण रहती है, उनको सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (च) एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

11. परीक्षा केन्द्र

- (क) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उस केन्द्र (केन्द्रों) को दर्शाना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के व्यावैर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी के अधीन राज्य/संघ शासित चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार राज्य	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/वेबसाइट
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर(3205), पटना(3206), आगरा(3001), बेरेली(3005), गोरखपुर (3007), झाँसी(3008), कानपुर(3009), लखनऊ(3010), मेरठ(3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी(3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211 001 (http://www.ssc-cer.org)
2.	पोर्ट ब्लेयर(4802), रांची(4205), भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), सम्बलपुर(4609), गंगटोक(4001), कोलकाता(4410), सिलीगुड़ी(4415).	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखण्ड, उडीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वांतल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 (www.ssccer.org)

3.	बेलगवी(9002), हुबली(9011), (गुलबग्हा)(9005), मैसूरू(9009), उडुपी(9012), कनूर(9202), कोडूयम(9205), तिरुवनंतपुरम(9211), बैंगलूरू(9001), कलाबुर्गी (मैंगलूरू)(9008), शिमोगा(9010), एरणाकुलम(9213), कोल्लम(9210), कोङिकोड(9206), त्रिशूर(9212)	कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक	क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बैंगलूरु, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4.	बिलासपुर(6202), दुर्ग-भिलाई (6205), रायपुर(6204), भोपाल(6001), ग्वालियर(6005), इंदौर(6006), जबलपुर(6007), सागर(6015), सतना(6014), उज्जैन(6016).	मध्य प्रदेश (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप क्षेत्र	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ५वां तल, इनवेस्टमेंट बिलिंग, एलआईसी कैपस-2, पंडीरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
5.	इटानगर(5001), डिब्रूगढ़(5102), गुवाहाटी (दिसपुर)(5105), जोरहाट (5107), सिलचर(5111), चुइचन्द्रपुर(5502), इम्फाल(5501), उखरूल (5503), शिलांग(5401), आइजोल(5701), कोहिमा(5302), अगरतला(5601)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलतला-बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)	
6.	दिल्ली (2201), अजमेर(2401), अलवर(2402), भरतपुर(2403), बीकानेर(2404), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407), सीकर(2411), श्रीगंगानगर(2408), उदयपुर(2409), देहरादून(2002), हल्द्वानी(2003), हरिद्वार(2005), रुड़की (2006).	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / रा.रा.क्षे. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखण्ड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 (www.sscnr.net.in)	
7.	चण्डीगढ़(1601), हमीरपुर(1202), शिमला(1203), जम्मू(1004), सांबा(1010), श्रीनगर (1007), लेह(1005), अमृतसर(1404),जालंधर(1402)	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sschnwr.org)	
8.	गुंदूर(8001), कर्नूल(8003), राजमुंद्री(8004), तिरुप्पति(8006), विजयवाड़ा(8008), विशाखापत्तनम(8007), पुडुचेरी(8401), चेन्नई(8201), कोयंबटूर(8202), मदुरै(8204), तिरुचिरापल्ली(8206),	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमில்நாடு और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिलिंग, डॉपीआई कैपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमில்நாடு -600006 (www.sscsr.gov.in)	

	तिरुनेलवेली(8207), हैदराबाद(8601), वारंगल (8603)		
9.	पणजी(7801), अहमदाबाद(7001), राजकोट(7006), सूरत(7007), वડोदरा(7002), अमरावती(7201), औरंगाबाद(7202), जलगांव(7214), कोल्हापुर(7203), मुंबई(7204), नागपुर(7205), नावेड(7206), नासिक(7207), पुणे(7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण बिंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कवेरी रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 (www.sscwr.net)

- (ख) कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिकता के आधार पर एक ही क्षेत्र में तीन केंद्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किए गए अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।
- (ग) आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को किसी भी केन्द्र के अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

12. परीक्षा की योजना

(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के व्यौरों का नीचे उल्लेख किया गया है -

परीक्षा की तिथि	भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि
29.03.2021 से 31.03.2021	I	सामान्य बद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	50	50	2 घंटे
	II	सामान्य जानकारी	50	50	(ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें उपरोक्त पैरा 7(क) और 7(ख) के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है)
	III	अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान	100	100	

- (ख) प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अंग्रेजी तथा हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।
- (ग) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात को ध्यान में रखें।
- (घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का अंतिम योग्यता सूची और कट्-ऑफ अंकों का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- (ङ) परीक्षा के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं तथा आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अभ्यावेदन, यदि कोई है, 100 रुपए प्रति अप्रश्न का भुगतान करके केवल ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय, आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन की संवीक्षा की जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त विषय पर किसी भी अन्य माध्यम अर्थात पत्र, आवेदन, ई-मेल, इत्यादि से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(च) विज्ञप्ति में दी गई परीक्षाओं की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षाओं की अनुसूची में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

(छ) अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति के लिए निश्चयार्थ पाठ्यक्रम:

(क) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, अन्तराल संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या-श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा।

(ख) सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेलकूद, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती।

(ग) 40 % और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता और प्रलिपिक का विकल्प देने वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमता और तर्कशक्ति/सामान्य जानकारी प्रश्नपत्र में मानचित्र/ग्राफ/अरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।

(घ) अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान : अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ की जांच करने के अतिरिक्त, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोमार्थक और उसका सही प्रयोग इत्यादि, उसकी लेखन योग्यता की जांच भी की जाएगी।

(ङ) आशुलिपि में कौशल परीक्षा

(i) जो अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शॉर्टिलिस्ट होंगे उन्हें आशुलिपि की कौशल परीक्षा में बैठना होगा। अभ्यर्थियों को आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के लिए 100 शब्द प्रति मिनट (श.प्र.मि.) की गति से और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के लिए 80 शब्द प्रति मिनट (श.प्र.मि.) की गति से 10 मिनट के लिए अंग्रेजी/ हिन्दी (अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में चुने गए विकल्प के अनुसार) में एक श्रुतलेख दिया जाएगा। इस सामग्री को कंप्यूटर पर लिप्यांतरित करना होगा। लिप्यांतरण के लिए समय निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद	कौशल परीक्षा की भाषा	समयावधि (मिनटों में)	उपर्युक्तपैरा-7 (क) एवं (ख) के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा पाने के पात्र अभ्यर्थियों के लिए समयावधि (मिनटों में)
1	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	अंग्रेजी	50	70
2	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	हिन्दी	65	90
3	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	अंग्रेजी	40	55
4	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	हिन्दी	55	75

- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उसे अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जो अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप से सीखनी पड़ेगी, ऐसा न करने पर नियोक्ता विभाग अथवा प्राधिकारी द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं मानी जाएगी। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की कौशल परीक्षा का माध्यम जो कोई भी रहा हो, उसे प्रयोक्ता कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपिक के रूप में कार्य करना होगा।
- (iii) कौशल परीक्षा आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में या आयोग द्वारा वथा-निर्धारित अन्य केन्द्र(केंद्रों) पर आयोजित की जाएंगी।
- (iv) कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाएंगे।
- (v) कौशल परीक्षा मूल्यांकन के नियम संबंधी मानक अनुदेश आयोग की वेबसाइट के “Candidate’s Corner” भाग में उपलब्ध है।

14. परीक्षा में प्रवेश

- (क) उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रोल नम्बर और प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण करते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस के बाद, इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा।
- (ख) आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की गहन जांच नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता सिर्फ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि को ध्यान पूर्वक देख कर स्वयं को संतुष्ट करें कि वे उस पद(पदों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएगी। संवीक्षा के समय, अगर आवेदन में किए गए किसी भी दावे को सही नहीं पाया गया तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।
- (ग) परीक्षा संबंधी प्रवेश-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय, जिनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र स्थित है (व्योरा पैरा 11(क) पर है), की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।
- (घ) परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक अपना व्योरा आयोग की वेबसाइट पर न मिले तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से बंचित हो जाएगा।
- (ङ) अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- (च) प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश-पत्र की प्रिंट आउट प्रति लेकर आना होगा।
- (छ) प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे-
- i. आधार कार्ड/ आधार कार्ड का प्रिंट आउट
 - ii. मतदाता कार्ड
 - iii. ड्राइविंग लाइसेंस
 - iv. पेन कार्ड
 - v. पासपोर्ट
 - vi. विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
 - vii. नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी)
 - viii. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवामुक्ति पंजिका
 - ix. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र
- (ज) अगर फोटो पहचान-पत्र में जन-तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्म-तिथि के प्रमाण से संबंधित एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र मूल रूप में लाना होगा। प्रवेश-पत्र में अंकित जन्म-तिथि और जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर लाए गए फोटो प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- (झ) पैरा 7(क) और 7(ख) के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी को अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण-पत्र/अंडरटेकिंग/ दिव्यांगजन के फोटो पहचान-पत्र की प्रति, जैसा इसमें निर्दिष्ट किया गया है, लाना होगा। बिना उपरोक्त दस्तावेज के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- (ञ) परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा।
- (ट) धुंधला फोटोग्राफ और/या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

15. दस्तावेज सत्यापन :

- (क) दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा 15(घ) के अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी प्रतिलिपि के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए आना अपेक्षित है।
- (ख) अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए विस्तृत विकल्प दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा। अभ्यर्थी को उस मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसकी वरीयता उसने सूचित न की हो। दस्तावेज सत्यापन के समय पुष्टि किए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और उसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को विकल्प भरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
- (ग) पदों/विभागों के लिए या तो ऑनलाइन अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय वरीयता देते समय, अभ्यर्थी ध्यान दें कि सीमा सड़क संगठन की शारीरिक मानकों, शारीरिक मापदंडों और चिकित्सीय मानकों की विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और सीमा सड़क संगठन में उनका नामांकन होने के पश्चात, सीमा सड़क संगठन द्वारा शारीरिक मानकों की माप, शारीरिक और चिकित्सी जांच का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक/चिकित्सीय मानकों इत्यादि के संबंध में सीमा सड़क संगठन द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुबंध -XV पर उपलब्ध है।
- (घ) दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को हाल का पासपोर्ट आकार का दो रंगीन फोटो और एक फोटो पहचानपत्र साक्ष्य मूल रूप में लाना होगा। फोटो पहचान-पत्र निम्न हो सकते हैं:-

- i. आधार कार्ड/ आधार कार्ड का प्रिंट आउट
- ii. मतदाता कार्ड
- iii. पेन कार्ड
- iv. पासपोर्ट
- v. ड्राइविंग लाइसेंस
- vi. विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
- vii. नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी)
- viii. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा पंजिका
- ix. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र

(ड) अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे:-

- i. मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाणपत्र
- ii. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- iii. कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो परीक्षा-विज्ञप्ति की अपेक्षाओं के अनुसार दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
- iv. जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।
- v. निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो।
- vi. भूतपूर्व सैनिक(भू.सै.) के लिए :
 - 1) अनुबंध-VI के अनुसार कार्यरत रक्षा कर्मी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।
 - 2) अनुबंध-VII के अनुसार वचन-पत्र।
 - 3) सेवा-मुक्ति प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ हो।
- vii. आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज।
- viii. अनुबंध-V के अनुसार केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रमाण-पत्र।
- ix. अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सरकारी/सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए।
- x. जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हे निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
 - 1) महिला की शादी के मामले में :- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।
 - 2) महिला की दूसरी शादी के मामले में :- तलाकनामा/ या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।
 - 3) महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।

- 4) दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए) या गजट अधिसूचना।
- (च) प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़-सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज़।

16. चयन का तरीका:

- (क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार हैं:-
- अनारक्षित: 30%
 - अन्य पिछड़ी जातियाँ/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग : 25%
 - अन्य:20%
- (ख) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उन पदों का उल्लेख करना होगा, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं अर्थात आशुलिपिक श्रेणी 'ग' अथवा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' अथवा दोनों।
- (ग) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को उन पद(पदों) के लिए कौशल परीक्षा (परीक्षाएं) देने हेतु श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिन पद(पदों) के लिए उन्होंने आवेदन किया है।
- (घ) कौशल परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन यह अर्हक स्वरूप की है। आयोग द्वारा प्रत्येक पद के लिए कौशल परीक्षा में श्रेणीवार अर्हता मानक निर्धारित किए जाएंगे। वे अभ्यर्थी जो कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर अंतिम चयन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा।
- (ङ) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन और मंत्रालयों/विभागों को आबंटन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के कार्य-निष्पादन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।
- (च) पदों/विभागों के लिए या तो ऑनलाइन अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय वरीयता देते समय, अभ्यर्थी ध्यान दें कि सीमा सड़क संगठन की शारीरिक मानकों, शारीरिक मापदंडों और चिकित्सीय मानकों की विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और सीमा सड़क संगठन में उनका नामांकन होने के पश्चात, सीमा सड़क संगठन द्वारा शारीरिक मानकों की माप, शारीरिक और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक/चिकित्सीय मानकों इत्यादि के संबंध में सीमा सड़क संगठन द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुबंध -XV पर उपलब्ध है।
- (छ) अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता को अंतिम माना जाएगा और अपरिवर्तनीय होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद/विभाग में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा।
- (ज) आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयताओं के आधार पर पदों का अंतिम आबंटन करता है और एक बार पद का आबंटन कर दिया जाता है तो किसी पद की शारीरिक/चिकित्सीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता/जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य वरीयताओं के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (झ) अजा, अजजा, अपिव, भूपसे और शा.दि. श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से

सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै और शा.दि. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

- (अ) अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडेरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे उसकी मेरिट स्थिति कुछ भी हो, को आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, शा.दि. अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।
- (ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।
- (ठ) सरकार यथावश्यक जाँच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- (ड) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- (इ) इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा।
- (ए) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व(अ.भ.से.दा.) के हैं।
- (ट) अंतिम चयन पर अभ्यर्थी को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित पद पर संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा स्थायी करने हेतु उस आवंटित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की जरूरत पड़ सकती है।
- (थ) यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।
- (द) यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

17. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

उन मामलों में जहाँ अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

- भाग-। में अंक (अर्थात् सामान्य बुद्धिमत्ता व तर्क शक्ति)
- भाग-॥ में अंक (अर्थात् सामान्य जानकारी)

- ग. जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
 घ. वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अध्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीट लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
6	अपनी अध्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आगेयास्ट्रो/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आगेयास्ट्रो/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्पेशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैंब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

(ख) आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. आयोग का निर्णय अंतिम:

प्रत्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओ) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व पद आबंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी

सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.39020/1/2016 -स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर या नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर घटी हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/अल्पसंख्यक), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यताका निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करनेका विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. अयोग्यता:

कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद(दों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(प)	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/शादि के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञासि में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ)	बैंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति(दि.व्य.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। समान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता(किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(ज)	अभ्यर्थियों को मैट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(झ)	अपाठ्य/धुंधले/फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ञ)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ट)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ठ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेकामुक्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 7(क) और 7(ख) में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र /प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(ड)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ढ)	सभी पद अधिकारी भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ण)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।

(त)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(थ)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा शारीरिक दिव्यांग (शा.दि.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
(द)	ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह स्पष्टतः फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। ऐसे बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।

अवर सचिव (नीति एवं योजना-II)

अनुबंध-Iपरीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री
....., ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं, जोकि
(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की
जांच की है और उल्लेख करता हूँ कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती
हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी:

संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात् दुष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के
विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप) दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थी हूं (परीक्षा का नाम)
 में बैठ रहा हूं, जिसका (जिले का नाम) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
 में स्थित (केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक है। मेरी शैक्षिक योग्यता
 है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में
 प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक
 योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे
 का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I.एक बारगी पंजीकरण
- II.परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा।)
 - i.बोर्ड आईडी कार्ड
 - ii.पैन
 - iii.पासपोर्ट
 - iv.ड्राइविंग लाइसेंस
 - v.स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi.नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक्स (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
 - ঢ. দিব্যাংগতা প্রমাণ-পত্র সংখ্যা, যদি আপ কিসী বেচমার্ক দিব্যাংগতা সে পীড়িত হন।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. प्रारंभिक विवरण
 - ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
 - ग. घोषणापत्र।
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :
 - क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
 - খ. ক্রম সংখ্যা- 1: আধার সংখ্যা/ পহচান পত্র ও ইসকী সংখ্যা কে বারে মে জানকারী প্রদান করেন। ইন নম্বরে মে সে কোई এক নম্বর দিয়া জানা অপেক্ষিত হয়।

- ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ड. क्रम संख्या -4: अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में गई है।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
- शिक्षा बोर्ड का नाम
 - रोल नंबर
 - उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या -7: लिंग
- झ. क्रम संख्या -8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- अ. क्रम संख्या -9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या 15-से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई डी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- य. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' केवल दो बार बदला जा सकता है। इसलिए एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।
7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/वृत्तिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अध्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध -III क (1/4)एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र का स्क्रीनशॉटअनुबंध -III क (2/4)चित्रअनुबंध -III क (3/4)चित्रअनुबंध -III क (4/4)चित्र

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:
 - क. हाल ही की (अर्थात् परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुरानी न हो) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन की गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ। छवि का आयाम लगभग $3.5 \text{ सेमी} (\text{चौड़ाई}) \times 4.5 \text{ सेमी} (\text{ऊंचाई})$ होना चाहिए फोटोग्राफ टोपी, चश्मा के बिना होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। धुंधली फोटो वाले आवेदन भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
 - ख. जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग $4.0 \text{ सेमी} (\text{चौड़ाई}) \times 2.0 \text{ सेमी} (\text{ऊंचाई})$ होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
2. अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉगइन करें।
3. 'नवीनतम अधिसूचना' टैब के अंतर्गत 'आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2020 लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं. -1 से 14 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी विवरण में संशोधन करना चाहते हैं तो ऊपर बाएं कोने में दिए गए कोने में 'पंजीकरण संशोधन' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन करें।
5. क्रम सं. -15: चयन करें कि आप आशुलिपि जानते हैं अथवा नहीं। यदि आपको आशुलिपि का ज्ञान होगा तभी आपको आवेदन करने कि अनुमति दी जाएगी।
6. क्रम सं. -16: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी प्राथमिकता दें। आप एक ही क्षेत्र में परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता क्रम में तीनों केंद्रों के लिए विकल्प दें।
7. क्रम सं. -17: यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
8. क्रम सं.-18: यदि आप परीक्षा की विज्ञाप्ति के पैरा सं 7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा उपलब्ध करने के लिए पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
9. क्रम सं.-19: कौशल परीक्षा के माध्यम का चयन करें, अंग्रेजी या हिंदी। बाद में कौशल परीक्षा के माध्यम के विकल्प को बदला नहीं जाएगा।
10. क्रम सं. -20: आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें, जैसे- (i) 'आशुलिपिक ग्रेड 'ग' या (ii) 'आशुलिपिक ग्रेड 'घ' या (iii) दोनों। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, बाद में उसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. क्रम सं. -21: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
12. क्रम सं.-22: उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दें।
13. क्रम सं.-23: अर्हक शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण दें।
14. क्रम सं.-24: परीक्षा कि विज्ञप्ति का पैरा 20 देखें और तदनुसार भरें।
15. क्रम सं. -25, 26 और 27 : वर्तमान और स्थायी पता से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
16. अपना हाल ही का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुराना न हो) जैसा कि क्रम सं. -1 क में निर्दिष्ट है। सुनिश्चित करें कि जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह उस

- फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी है क्योंकि तारीख रहित फोटो वाला आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। धुंधली फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. उपरोक्त क्रम सं. 1 ख पर अपने हस्ताक्षर का नमूना अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
 18. परीक्षा में बैठने हेतु अपने द्वारा दिए जाने वाले घोषणापत्र का अवलोकन करें और यदि सहमत हों तो “मैं सहमत हूं” चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरें।
 19. आपके द्वारा दी गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी प्रविष्टि को संशोधित करना चाहते हैं, तो ‘संपादित करें / संशोधित करें’ बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित सुधार करें। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वावलोकन करें और सत्यापित करें और आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।
 20. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
 21. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा- 10 का संदर्भ लें।
 22. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे ‘अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। सामान्यतः किसी भी स्तर पर आयोग को ‘आवेदन पत्र’ का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, तथापि यदि डेटा में विसंगति होने पर आयोग प्रिंट आउट मांग सकता है।

अनुबंध-IV क (1/3)

चित्र

अनुबंध-IV क (2/3)

चित्र

अनुबंध-IV क (3/3)

चित्र

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहाँ अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रु. के वेतनमान में _____ के पद पर अंतिम तारीख के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____
 (रैंक) _____ (नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना में अपनी
 नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान: (कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक: कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं , अनुक्रमांक
 परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय रैक पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एततद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी
 ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के
 _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986, गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित ।]

- @ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____
- @ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 _____
- @ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991

- @ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
 - @अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
 - @संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 - @संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 - @ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
- %2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रबास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य / संघ शासित क्षेत्र*

स्थान _____

दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्दों का सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाइर्पेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(+प्रथम श्रेणी के स्टाइर्पेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का न हो)
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
- (v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

अनुबंध-IX

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____

ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ----- दिनांक -----* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु ० ----- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 9 मार्च, 2004, का.स. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था(रिज), दिनांक 27 मई 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर.....

पद.....

दिनांक:

मुहर

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अध्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय और का पर यथा संशोधित

\$ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची वही है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकारप्राप्त प्राधिकारियों की सूची है।

टिप्पणी-:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध- X

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी

स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर

जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____ पिन कोड

जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट
आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

प्रारूप-Vनिशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाधात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशाक व्यक्ति का हाल
ही का पासपोर्ट आकार
का अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी ----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
 जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला -----
 पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला ----- राज्य -----
 के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
 - बौनापन
 - नेत्रहीनता का है
- (जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ----- निदान किया गया है।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने -----
 (शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- % (शब्दों में) स्थायी
 गतिविषयक दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का व्यौरा
--------------------	--------------------	---

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध- XII

प्रारूप-VI

निशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु निशक्तता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी ----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
 ----- जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला ----- पंजीकरण
 संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला ----- राज्य -----
 के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निशक्तता का है। उनकी शारीरिक निशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शारीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बाधिता	£		

10.	श्रवण दिव्यांगता	£			
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता				
12.	बौद्धिक दिव्यांगता				
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता				
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार				
15.	मानसिक बीमारी				
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार				
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस				
18.	पाकिन्सन बीमारी				
19.	हेमोफिलिया				
20.	थलसेमिया				
21.	सिकल सेल डिसीज़				

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निश्चित प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XIII

प्रारूप-VII

निशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18(1) देखें]

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट
आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल
चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
 जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण
 संख्या -----, जोकि मकान नं. ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला ----- राज्य -----
 के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे
 निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश
 संख्या और उनको जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निशक्तताओं के लिए मूल्यांकन
 किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तुष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बृद्धिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			

12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिक्कल सेल डिसीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख)
.... (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है

जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,

तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/

सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कोड :

शैक्षिक योग्यता	कोड
इंटरमीडिएट/उच्चतर माध्यमिक/12वीं कक्षा	02
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	03
डिप्लोमा	04
बीए	05
बीए (ऑनर्स)	06
बी.कॉम.	07
बी.कॉम. (ऑनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (ऑनर्स)	10
बी.एड.	11
एलएलबी	12
बीई	13
बी.टेक.	14
एमआईई (भाग-ए & भाग-बी)	15
बी.एससी. (इंजी.)	16
बीसीए	17
बीबीए	18
सशस्त्र सेनाओं द्वारा जारी मानद स्नातक प्रमाणपत्र	19
पुस्तकालय स्नातक.	20
बी.फार्मा.	21
आईसीडब्ल्यूए	22
सीए	23
पीजी डिप्लोमा	24
एमए	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एमएड.	28
एलएलएम	29
एमई	30
एम.टेक.	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एमसीए	33
एमबीए	34
अन्य	35

सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की "अनुसूची-I" के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केन्द्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केन्द्र में किया जाएगा।

2. शारीरिक मापदंड: जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की "अनुसूची-II" में उल्लेख किया गया है।

3. (क) चिकित्सा मानक : अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की 'अनुसूची-III' में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच: इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उल्लेख उत्तरवर्ती उप पैरा में किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफ केन्द्र सहित संबंधित भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे तथा अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफ केन्द्र सहित प्रत्येक भर्ती केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद चिकित्सा बोर्ड द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की ज़रूरत है तो संबंधित भर्ती केन्द्र अथवा जीआरईएफ केन्द्र के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानतः चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दो दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अन्दर दो दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) अस्थायी रूप से 'अनफिट'- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' - चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केन्द्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुनः 'अनफिट' पाया जाता है तो उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

- (ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट- शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि जीआरईएफकेन्ड्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने के माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी। पुनः मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी फिट पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अध्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।
- (ix) स्थायी रूप से 'अनफिट' - स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:
- (क) चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनफिट' - चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेन्ड्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुनः चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रुपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अध्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी फिट पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अध्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।
- (ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' - जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफ केन्द्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल

क्षेत्रीय भर्ती टीम (एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी।

(x) दृष्टि संबंधी मापदंड- दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(xi) शल्य चिकित्सा- यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है(उदाहरणतः हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोटॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह भौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात् 2 माह के भीतर। ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) चिकित्सा योग्यता : इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे।

(i) सीमा सङ्क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। सीमा सङ्क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा। निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा।

(iv) जीआरईएफ केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा।

4. अभ्यर्थिता रद्द करना : यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. नियमों में छूट की शक्ति : जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

6. व्यावृति: इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची-I

शारीरिक दक्षता परीक्षा (समूह 'ख' अराजपत्रित तथा समूह 'ग' पदों के लिए)			
क्रम संख्या	कार्यकलाप	अधिकतम अंक	उपलब्ध समय
1	एक मील की दौड़	केवल परीक्षा पास करनी अनिवार्य है।	10मिनट
नोट - (i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है।			
(ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अहता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा पास करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।			

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्रम सं.	क्षेत्र	सम्मिलित राज्य / क्षेत्र	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊँचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मध्य अंतर्राज्य सीमा के दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र तथा मुकेरियन होशियारपुर की सड़क के उत्तर एवं पूर्व की ओर के क्षेत्र, गढ़शंकर, रोपड व चंडीगढ़), उत्तराखण्ड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम, नागालौण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिङ्गपोंग जिले तथा अण्डमान निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	162.5 सेमी	न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखण्ड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ड.	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुदुचेरी, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
छ	सेवारत/पूर्व जीआईएफ कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट	2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.	
ज	डीडी मामलों में छूट (अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू परंतु अन्य संबंधियों के लिए लागू नहीं)	2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.	
झ	गोरखा (भारतीय निवासी)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.	

अनुसूची-IIIजीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानकसामान्य

- प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रयोग्य संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ अच्छा होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी की राय में विशेष रूप से ऊंचाई वाले और कठिन क्षेत्रों में भर्ती करने के लिए उसे कोई शारीरिक संरचना संबंधी अथवा अधिग्रहित विकलांगता न हो। अन्यथा उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

- सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाएं जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता / अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

- जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामांकन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं। चिकित्सा जांचकर्ता अभ्यर्थी के किसी दोष से संबंधित टिप्पणी हस्तलेख में दर्ज करेगा।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2क

- यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निश्चितता पेशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2क की सारणी संख्या 1 में दी गई चिकित्सा मर्दों को पूरा करेगा।
- इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टियों की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति

के साथ घोर अन्याय होगा। अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं।

6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमी पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों के चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)
- ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।
- ग. कि उसकी दोनों आँखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आँखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई असामान्यता नहीं है। आँखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से धूमना चाहिए।
- घ. कि वह बिना किसी रुकावट के बात-चीत कर सकता है।
- ड. कि वह ग्रंथियों की सूजन से पीड़ित नहीं है।
- च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।
- छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।
- ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।
- झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।
- अ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।
- ट. कि उसमें किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।
- ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।
- ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगा:-

- क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)
- ख. असामान्य चाल
- ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)
- घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुँडी हुई टागे, मुँडे हुए घुटने, सपाट पैर)
- ड. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि
- च. बधिरता

- छ. हकलाना
- ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकर्पी तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है हाईपरथायरोडिसिस और टैकीकार्डिया (फ्ल्स रेट 100/मिनट से अधिक)
- झ. यौन संचारित रोग
- ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना
- ट. वर्णाधता के मामले
- ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस
- ड. कान के पर्दे में छेद
- ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकरण शोध/कर्णमूल शोधिका
- ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत
- त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण
- थ. अंतःस्नावी विकार
- द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप $>140/95\text{mm Hg}$)
- ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कार्नियल सर्जरी के मामले
- न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन
- प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो
- फ. स्थाई टैटू केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाइ तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर ही अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार

9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैं:-

- क. प्टेरिजियम
- ख. नेत्र शोध
- ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)
- घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III
- ঢ. বিপরিত নাসিকা ঝিল্লী
- চ. गलसुओं की दीर्घ कालिक सूजन
- ছ. कुछेक दांतों में सड़न (डैन्च्योर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)
- জ. पिट्रीएসিস বের্সিকোলর
- ঝ. টীনিয়াক্রোসিস, খুজলী, এম্জিমা আদি
- অ. প্লেইট মস্সে
- ট. হাইড্রোসিল, হার্নিয়া, বেরিকোসীল
- ঠ. বেরিকোস বেঁস
- ড. ফিমোসিস, গুদা মেঁ ফিসর যা ব্রণ, বকাসীর

- ड. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण
- ण. गाइनेकोमस्टिथा
- त. रक्त क्षीणता
- थ. हैपेटोस्टीनोमैगाली
- द. 30 से ऊपर बीएमआई (तीन महीने के भीतर बीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

अल्प दोष वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता

10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-
- क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगड़ित हों।
 - ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)
 - ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कॉडाइलर दूरी 7 सेमी.)
 - घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर
 - ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंड वृष्ण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)
 - च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।
 - छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा
 - ज. थोड़ा हकलाना
 - झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर
 - ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर
 - ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)
 - ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता
 - ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर
 - ढ. वेरीसिस का कम स्तर
 - ण. टिनिआ वेर्सिकोलर
 - त. विपरित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)
 - थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भों में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में दर्ज किया जाए। अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुछ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

- (ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।
12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ. में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।
 13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/मेड/2 के नोट किया जाए।
 14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्रायः कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यतः, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/मेड/2ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।
 15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण निरस्त किए गए सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

-- *** --

